छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक–3874/2010

कु.कविता पांडे आत्मज श्री बी.एल. पांडे, उम्र लगभग 23 वर्ष,
शिक्षा कर्मी वर्ग–3, शासकीय प्राथमिक शाला उल्लुर,
जिला–बीजापुर, छत्तीसगढ़ निवासी– ग्राम–भोपालपट्टनम,
जिला–बीजापुर, छत्तीसगढ़.

-------याचिकाकर्ता

–विरुद्ध–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर, जिला. बस्तर, छत्तीसगढ़ ।
3. कलेक्टर बीजापुर, जिला–बीजापुर, छत्तीसगढ़ ।
4. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, दक्षिण बस्तर, बीजापुर, छत्तीसगढ़ ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भोपालपट्टनम, जिला.–बीजापुर, छत्तीसगढ़ ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत, भोपालपट्टनम, जिला.–बीजापुर, छत्तीसगढ़.
7. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड भोपालपट्टनम, जिला.–बीजापुर, छत्तीसगढ़.

--------उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका क्रमांक 5694/2010</u>

श्रीमती शशिप्रभा सिंह पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह,
उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 97,
सुरभि कॉलोनी, एस.पी. कार्यालय के पास,
दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।

------याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
डी.के.एस.भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. कलेक्टर बीजापुर, जिला–बीजापुर,
छत्तीसगढ़ ।
3. डिप्टी कलेक्टर, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
भोपालपट्टनम, जिला.–बीजापुर, छत्तीसगढ़.
5. जीवन लाल देशलहरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत भोपालपटनम, जिला–बीजापुर,
छत्तीसगढ़.

----उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 3874/2010 में याचिकाकर्ता द्वारा–श्री ए.के. प्रसाद, अधिवक्ता।
रिट याचिका क्रमांक 5694/2010 में याचिकाकर्ता द्वारा–श्री वरुण शर्मा, अधिवक्ता ।
दोनों याचिकाओं में राज्य की ओर से– उप.ए.जी.श्री अनिमेष तिवारी ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के.अग्रवाल द्वारा पारित आदेश

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

03/08/2021

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. चूंकि इन दोनो याचिकाओं मे विधि एंव तथ्य का एक समान प्रश्नन सम्मिलत है, इसलिये दोनो याचिकाओं की एक साथ सुनवाई किया जाकर समान आदेश पारित किया जा रहा है ।

2. दोनों याचिकाकर्ताओं को छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद पंचायत भोपालपट्नम के आदेश दिनांक 31/05/2005 (संलग्नक पी/3) के द्वारा शिक्षा पंचायत, कर्मी वर्ग तीन के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली थी। तत्पश्चात, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भोपालपटनम द्वारा लिखित पत्र दिनांक 03/10/2009 का संज्ञान लेते हुए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप जनपद कलेक्टर, बीजापुर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (इसके पश्चात '1993 का अधिनियम') की धारा 85 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की तथा उपस्थित दो याचिकाकर्ताओं के साथ–साथ आठ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया। जब याचिकाकर्ता उपस्थित हुए और जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग किया, तब उन्हें समय देने से इंकार कर दिया गया और अंततः एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात 19/12/2009 के आदेश (संलग्नक पी/10) के तहत कलेक्टर, बीजापुर

द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अन्य व्यक्तियों के साथ शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के पद से अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के तहत हटाने का निर्देश दिया गया और उस आदेश की एक प्रति अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के अनुपालन में राज्य सरकार को प्रेषित की गई, किंतु याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ।

3. रिट याचिका क्रमांक 3874/2010 में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर बीजापुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक पी/10) जिसमे याचिकाकर्ता को शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के पद से हटाने का निर्देश जारी किया गया था, के विरुद्व आयुक्त, बस्तर संभाग के समक्ष् अपील प्रस्तुत किया किंतु उक्त अपील को आदेश दिनांक 12/07/2010 (संलग्नक पी/1) के अनुसार खारिज कर दिये जाने के कारण प्रश्नगत किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. रिट याचिका क्रमांक 5694/2010 मे, याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति का परिणामी आदेश 06/04/2010 (संलग्नक पी/13) को पारित किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2713/2010 में चुनौती दी गई थी जिसमें इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 17/06/2010 के द्वारा मामले को सीईओ, पी/17 जनपद पंचायत, भोपालपटनम को प्रतिप्रेषित किया गया, किंतु उन्होने दिनांक 21/07/2010 के सेवा समाप्ति के आदेश की पुष्टि करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत किया गया है।

5. इन दोनो रिट याचिकओं मे मुख्य रूप से याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर, बीजापुर द्वारा अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक पी/10) के वैधता, विधिमान्यता और शुद्धता को मुख्य रूप से इस आधार पर प्रश्नगत किया कि अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही राज्य

सरकार या निदेशक पंचायत द्वारा सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की गई है और न ही अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के परंतुक के अधीन याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है, जिसके वे अधिकारी रहे है।

6. कलेक्टर, बीजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक पी/10) को उचित ठहराते हुए राज्य द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे, इसलिए, 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को सही रूप से रद्द/निरस्त किया गया है, जो पूरी तरह से विधि के अनुरूप है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. संबंधित याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के.प्रसाद और श्री वरुण शर्मा के द्वारा तर्क के परिपेक्ष्य मे व्यक्त किया कि कलेक्टर, बीजापुर द्वारा 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के तहत पारित आदेश मे 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के परंतुक का अनुपालनकरने हेतु 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के अधीन पंचायत निदेशक, सक्षम प्राधिकारी है इसलिऐ विहित प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, रद्द, संशोधित या परिवर्तित करने के लिये सक्षम है। किंतु ततसंबध मे न ही राज्य सरकार और न ही पंचायत निदेशक ने कोई प्रक्रिया प्रारंभ किया। इसके अतिरिक् न ही 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के आज्ञात्मक उपबंध के अनुसार याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया । चुंकि उपरोक्त प्रावधान आज्ञात्मक प्रकृति के होने और उसका पालन नही होने के कारण कलेक्टर, बीजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक P/10) स्वतः समाप्त् हो गया। इसलिऐ उपरोक्त कारणो से याचिकाकर्ताओं को सेवाओं से नही हटाया जा सकता था । अतः कलेक्टर, बीजापुर द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। याचिकाकर्ता के

विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण शर्मा, रिट याचिका क्रमांक 5694/2010 के लिए इसी न्यायालय द्वारा "सरपंच, ग्राम पंचायत बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य" 2020 SCC Online Chh 1790 के मामले में पारित निर्णय को अनुकरणीय माना है ।"

8. राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अनिमेष तिवारी ने उक्त प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि चूंकि याचिकाकर्ता शिक्षा कर्मी वर्ग तीन के पद के लिए योग्य नहीं थे, इसलिए 1993 के अधिनियम की धारा 85(1)(b) प्रावधानुसार, उन्हें कलेक्टर, बीजापुर द्वारा आदेश पारित कर सेवा से बर्खास्त किया जाना उचित है। उन्होने आगे यह भी व्यक्त किया कि रिट याचिका क्रमांक 3874/2010 में याचिकाकर्ता के सेवा समाप्ति के आदेश की आयुक्त (संलग्नक P/1)द्वारा पुष्टि किया गया है। अतः कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ताओं की शिक्षा कर्मी वर्ग तीन के पद से सेवा समाप्ति का पारित आदेश (संलग्नक P/10) में कोई विसंगति नहीं है । अतः उपरोक्तानुसार दोनों रिट याचिकाएं खारिज किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तओ को सुना गया, उनके द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेखो का सुक्ष्म परिशीलन किया गया ।

10. यह अविवादित है कि याचिकाकर्ताओं को शिक्षा कर्मी वर्ग तीन के पद पर जनपद पंचायत, भोपालपट्टनम द्वारा 31/05/2005 के आदेश (संलग्नक P/3) के माध्यम से नियुक्त किया गया था और उन्होंने संबंधित नियमों के तहत परिवीक्षा अवधि भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया । यदपि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा उनके पक्ष में कोई स्पष्ट पुष्टि आदेश पारित नहीं किया गया है। जनपद पंचायत, भोपालपट्टनम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा दिनांक 03/10/2009 के पत्र के माध्यम से किये गये अनुरोध के आधार पर कलेक्टर, बीजापुर ने 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के तहत कार्यवाही

प्रारंभ किया और याचिकाकर्ताओं सहित आठ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया, जो इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, किंतु अभिलेख से दर्शित होता है कि उन्हें कोई दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए और अंततः आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक P/10) के द्वारा कलेक्टर, बीजापुर ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वे शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं थे । ततपश्चात याचिकाकर्ताओं के सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्रमांक 5694/2010 में चुनौती दी लेकिन जब इस मामले को इस न्यायालय द्वारा पुनः विचार के लिये प्रतिप्रेषित किया गया तब उक्त आदेश को कायम रखा गया। रिट याचिका क्रमांक 3874/2010 में, याचिकाकर्ता की अपील जो कलेक्टर के आदेश के खिलाफ की गई थी, आयुक्त, बस्तर संभाग द्वारा 12/07/2010 के आदेश (संलग्नक P/1) से खारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इन याचिकाओं मे संक्षिप्त रुप से अन्तर्वलित प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी/कलेक्टर, बीजापुर द्वारा पारित आदेश को अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाने पर, याचिकाकर्ताओं को अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के परन्तुक का अनुपालन किया गया है?

12. इस स्तर पर, 1993 के अधिनियम की धारा 85 पर ध्यान आकृष्ट किया गया जो निम्नानुसार प्रावधान करती है:–

> "85. आदेशों आदि का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति – (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, और कथित

किये जाने वालो कारणों से, पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प के, जारी किये गये आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, या यदि उनकी राय मे–

(क) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति , अनुज्ञा या कार्य वैध रुप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है / नही की गई है; या

(ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति , अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है या किसी विधि के प्रतिकूल है;या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) ऐसा संकल्प या आदेश का निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार प्रवृत बने रहने से या ऐसा कार्य किए जाने से–

(i) पंचायत मे निहित किसी भी धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होना या उसमे निहित किसी संपत्ति का नुकसान होना संभाव्य है;

(ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

(iii) जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना संभाव्य है; या

(iv) शांति भंग होना संभाव्य है।

(2) जब कभी विहित प्राधिकारी द्वारा उप–धारा (1) के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है, तो तत्काल और प्रत्येक दशा मे, आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर, उस आदेश की

एक प्रति और उसके साथ उसके किए जाने के कारणो का विवरण राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नामनिर्दिष्ट किए गए अधिकारी को अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी उस आदेश को पुष्टि कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा या उसे पुनरीक्षित कर सकेगा, या उसे उपातंरित कर सकेगा, या यह निर्देश दे सकेगा कि वह उपांतरण सहित या उसके बिना स्थायी रुप से ऐसी कालावधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, प्रवृत्त बना रहेगाः

परंतु विहित प्राधिकारी के द्वारा उप–धारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश, राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा तब तक पुष्ट, अपास्त्, पुनरीक्षित या उपातंरित नही किया जाएगा जब तक कि संबधित पंचायत को प्रस्तावित आदेश के विरुद्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया जाता है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. दिनांक 13/05/2003 की अधिसूचना के तहत कलेक्टर को अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 26/07/2005 के द्वारा जनपद पंचायत के निदेशक को 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के परंतुक के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

14. राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के तहत यह शक्ति प्रदत्त् करती है कि लिखित आदेश द्वारा और कथित किये जाने वालो कारणों से, पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प के , जारी किये गये आदेश या दी गई अनुज्ञिप्त या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिषिद्व कर सकेगा, या यदि उनकी राय मे ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञिप्त, अनुज्ञा या कार्य वैध रुप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है या ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञिप्त, अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है या किसी विधि के

प्रतिकूल है या ऐसा संकल्प या आदेश का निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार प्रवृत बने रहने से या ऐसा कार्य किए जाने से पंचायत मे निहित किसी भी धन की हानि, दुव्यर्य या दुरुपयोग होना या उसमे निहित किसी संपत्ति का नुकसान होना संभाव्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना संभाव्य है या शांति भंग होना संभाव्य है। इस प्रकार 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के तहत, निष्पादन को निलंबित करने का एक मात्र अधिकार विहित प्राधिकारी को प्रदत्त् किया गया है ।

15. अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के तहत जब भी विहित प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तब अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के तहत तत्काल और प्रत्येक परिस्थितियों मे, आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर,उस आदेश की एक प्रति कारणो सहित राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नामनिर्दिष्ट किए गए अधिकारी को अग्रेषित करेगा और 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को पुष्टि या अपास्त या पुनरीक्षित या उपातंरित करने का अधिकार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के परंतुक मे आते है जिसमे स्पष्ट रुप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा पुष्टि,अपास्त , पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा जब तक की संबधित पंचायत को प्रस्तावित आदेश के विरुद्व युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर नही दिया दे दिया जाता है । 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के उपबंध में पंचायत को युक्तियुक्त समुचित सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान है, यदपि यह इस बिंदु पर मौन है कि क्या सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को दिया

जाना आवश्यक है जो विहित प्राधिकारी के आदेश से प्रभावित है, जैसे कि मौजूदा प्रकरण में याचिकाकर्ता।

17. ततसंबध मे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा 'नरेश सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य' 2002(2) एमपीएलजे 575 के प्रकरण मे यह स्पष्ट रुप से अभिनिर्धारित किया कि 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के पंरतुक के प्रावधान के अनुसार न केवल पंचायत, बल्कि वह व्यक्ति भी जो 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के अधीन विहित प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होता है, उसे भी आदेश की पुष्टि, अपास्त, पुनरीक्षित या उपांतरित करने से पहले सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान जाना आवश्यक है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 16 में यह उल्लेखित है कि :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"16. इस प्रकरण के परिशीलन से दर्शित है कि वर्तमान मे यहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एंव 16 का उल्लंघन हुआ है क्योंकि सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। इसलिये जारी किया गया आदेश पूरी तरह से अवैध है और अपास्त् किए जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 85 के उपबंध के अनुसार, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न केवल संबंधित पंचायत को, बल्कि प्रभावित व्यक्ति को भी दिया जा सकता था। इसलिये बिना सुनवाई का अवसर दिये निष्कासन आदेश अधिनियम की धारा 85 के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नही है,विशेष कर उस स्थिति मे जब याचिकाकर्ता डेढ़ वर्ष तक सेवा मे रही हो और उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। विधिक रुप से यह सुस्थापित है कि प्रत्येक मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में जांच आवश्यक रुप से होनी चाहिए। तात्कालीन कार्यरत अधिकारी को उसका प्रमुख् होना चाहिए और कम से कम कारण् बताओ नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति से सुनवाई की जानी चाहिए, वैसा नही किया गया जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कु.नीलीमा मिश्रा बनाम डॉ. हरिंदर कौर पेंटल और अन्य, AIR 1990 SC 1402, श्रवण कुमार झा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, AIR 1991 SC 309, बसुदेव तिवारी

बनाम सिदो कान्हू विश्वविद्यालय और अन्य, AIR 1996 SC 2219, एस. अशोक कुमार और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, 1994(2) SCC 631 में अभिनिर्धारित किया गया। माता प्रसाद साहू बनाम राज्य मध्यप्रदेश और अन्य',2000(3) MPHT 408 मामले में न्यायालय की खंड न्यायपीठ के द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया था ।"

18. इसी प्रकार, 'सरपंच (उपर)' मामले में, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के परंतुक को दृष्टिगत रखते हुए कंडिका 16 और 18 में यह माना था कि :–

"16. अधिनियम 1993 की धारा 85 के उप-धारा 2 के उपबंध में स्पष्ट रुप से यह आदेशित किया गया है कि राज्य सरकार या उसकी ओर से नामनिदिष्ट अधिकारी के पास किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश/प्रस्ताव पुष्टि के विचार के लिए या उस पर अन्य उपयुक्त आदेश पारित करने हेतु रखा गया हो, तब ऐसी स्थिति मे उस व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञात्मक है । यदि कोई विधि मे प्रक्रिया का निर्धारित है तो किसी भी प्राधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता अधीन कार्य करते समय केवल उक्त विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुये कार्य करने की विधिक बाध्यता है। उसे स्वंय की प्रकिया के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं है।

18. जब विधि मे विशेष् रुप से यह प्रावधानित है कि आदेश की पुष्टि उन्हे युक्तियुक् सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही किया जा सकता, तब ऐसे मे कलेक्टर को दिनांक 13.8.2019 को पारित आदेश के पूर्व यह बाध्यता है कि पंचायत को नोटिस प्रेषित कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करे । कलेक्टर के आदेश से यह दर्शित होता है कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही कलेक्टर के द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार कलेक्टर ने अधिनियम 1993 की धारा 85 के प्रावधानित आज्ञात्मक प्रक्रिया का पालन न कर त्रुटि कारित किया है ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. उपरोक्त न्यायदृष्टांतो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी को किसी आदेश के क्रियान्वयन को अवैध पाते हुए निलम्बित करने की शक्ति है । तत्पश्चात् विहित प्राधिकारी को अपने आदेश को अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के प्रयोजनार्थ 10 दिवस के अन्दर सक्षम प्राधिकारी/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को अग्रेषित करना अपेक्षित है । अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के परंतुक के अधीन राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत या वह व्यक्ति जो विहित प्राधिकारी के आदेश से प्रभावित है, को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात ही अपास्त, पुनरीक्षित अथवा उपांतरित किया जा सकता है। राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के प्रयोजनार्थ संबंधित पंचायत या प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया कोई भी आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर और विधि के प्राधिकार के बिना होगा, क्योंकि अधिनियम 1993 की धारा 85(2) का प्रावधान आज्ञात्मक प्रकृति का है । अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी को मात्र किसी आदेश के निष्पादन को अवैध पाते हुए निलंबित करने की शक्ति दी गई है और जब तक विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि या पुनरीक्षित राज्य सरकार या अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के अधीन उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है विहित प्राधिकारी के आदेश निष्प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में संबंधित पंचायत या प्रभावित व्यक्ति को 1993 के अधिनियम की धारा 85(2) के परंतुक के अधीन सुनवाई का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही आदेश मे पुष्टि / सुधार किया जायेगा ।

20. उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में मौजूदा प्रकरण के तथ्यों से परिलक्षित होता है कि यद्यपि वर्तमान मामले में कलेक्टर, बीजापुर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भोपालपटनम द्वारा दिनांक 03/10/2009 प्रेषित किए गए अनुरोध पत्र पर अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक पी/10) के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की शिक्षा कर्मी वर्ग तीन के पद पर नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश जारी किया और उक्त पारित आदेश को दिनांक 23/12/2009 को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया, किंतु यह भी दर्शित है कि ततपश्चात अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार , निदेशक पंचायत या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ् नहीं की गई है और याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवा समाप्ति के आदेश की पुष्टि करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार, कलेक्टर, बीजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक पी/10) की पुष्टि राज्य सरकार या निदेशक, पंचायत द्वारा कभी नहीं की गई।

21. इस स्तर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मुकेश कुमार हरदरिया बनाम राज्य 2009 SCC Online MP 99 के द्वारा पारित निष्कर्ष् जो कि मौजूदा प्रकरण के लिये उपयुक्त है ,मे व्यक्त किया गया है कि मध्य प्रदेश के अधिनियम 1993 की धारा 85(1) के अंतर्गत पारित आदेश की अवधि केवल 10 दिन है और इसके बाद इसे अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के प्रावधान के अनुसार पुष्टि करनी होती है जो कि इस प्रकार है कि :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यदि उपखंड अधिकारी द्वारा की गई अनुंशसा को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती हैं, तो केवल एक मात्र प्रभावी अंतिम आदेश अस्तित्व में रहेगा और इस प्रकार के आदेश को मात्र चुनौती ही दी जा सकती है। यदि उपखंड अधिकारी अपने प्रज्ञा से मामले को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रेषित नही करता है तो उपखंड अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 85(1) के तहत पारित आदेश 10 दिवस के पश्चात स्वयमेव समाप्त् होकर प्रभावहीन हो जायेगा। उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को की गई अनुंशसा को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. मौजूदा प्रकरण में, कलेक्टर, बीजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक पी/10) को यद्यपि 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था, लेकिन अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के अनुसार न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, पंचायत निदेशक द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई और न ही अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के परंतुक के अधीन संबंधित पंचायत या याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए कोई नोटिस जारी किया गया । इस प्रकार, कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आदेश को रद्द करने के आदेश की अधिनियम 1993 की धारा 85(2) के परंतुक के अधीन कभी भी पुष्टि नहीं की गई । इसलिए उक्त पारित आदेश दस दिवस की अवधि के अवसान के पश्चात समाप्त् हो गया है और उक्त आदेश की प्रभावशीलता भी समाप्त हो गई है। अतः कलेक्टर, बीजापुर द्वारा 1993 के अधिनियम की धारा 85(1) के तहत पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक पी/10) के आधार पर सेवा समाप्ति का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता ।

23. उपरोक्त विश्लेषण व निर्णय के परिणामस्वरूप कलेक्टर, बीजापुर द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का पारित आदेश दिनांक 19/12/2009 (संलग्नक P/10) क्षेत्राधिकार के बिना तथा विधि के प्राधिकार के बिना के प्रभावहीन होने से आदेश दिनांक 19/12/2010 (संलग्नक P/10) को याचिकाकर्ता कविता पांडे और शशिप्रभा सिंह की सीमा तक को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार दिनांक 12/07/2010 का आदेश (रिट याचिका क्रमांक 3874/2010 में संलग्नक पी/1) जिसके द्वारा आयुक्त कलेक्टर ने याचिकाकर्ता कविता पांडे द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश की पुष्टि की है, को भी निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता शशिप्रभा सिंह की सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 21/07/2010 (रिट याचिका क्रमांक 5694/2010 में संलग्नक पी/1) भी निरस्त किया जाता है। चूंकि रिट याचिका क्रमांक 3874/2010 की याचिकाकर्ता कविता पांडे पूर्व से अपने पद पर कार्यरत हैं, इसलिए उनके मामले में आगे कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है । तथापि रिट याचिका क्रमांक 5694/2010 में याचिकाकर्ता शशिप्रभा सिंह की सेवा को समाप्त किया जा चुका है, इसलिए उसके संपूर्ण बकाया पिछला वेतन को छोड़कर सभी सेवा लाभों के साथ बहाल किया जाएगा। संपूर्ण बकाया पिछला वेतन के प्रश्नन पर इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जनपद पंचायत भोपालपटनम मूलभूत नियम के नियम 54 के अनुसार विचार करेगा ।

24. तदानुसार, दोनों रिट याचिकाएँ ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। कोई परिव्यय नहीं।

सही/–

संजय के.अग्रवाल

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur